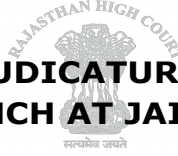




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1253/2012

1. राम लाल पुत्र श्री नारायण, आयु 54 साल
2. श्रीमती शांति देवी पत्नी रामलाल, आयु 49 साल
3. कु. कमली पुत्री रामपाल, आयु 18 वर्ष,
निवासीगण— गठोली पीराम, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

----प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. रूपल शर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी— 50, सर्वेश्वर नगर, ब्यावर,
जिला अजमेर, राजस्थान।
2. राकेश बी. कुमार पुत्र सुखदेव कुमार, आयु 53 वर्ष, निवासी—
121/167, मानसरोवर, जयपुर।
3. रिलायसंज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिये मैनेजर मेकर्स
टावर, क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर।

----अप्रार्थीगण

For Appellant(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (for Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण/मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-88/2011 (349/2010), बउनवान रामलाल व अन्य बनाम रूपल शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2011 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।



2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **रामहेत** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **2,52,600/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है तथा आश्रित आय की गणना हेतु मृतक की माता-पिता की उम्र को आधार मानकर 11 का गुणक प्रयोग किया जाकर त्रुटि कारित की गयी है व कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।
5. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 19.11.2009 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक क्रेटरिंग का कार्य कर प्रतिमाह आठ से दस हजार रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए



मृतक की आय 3,600/- रुपये मासिक निर्धारित की गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गयी है। ऐसी स्थिति में मृतक की उपरोक्त निर्धारित मासिक आय में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं व मृतक की यही आय हम निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की उपरोक्त निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। वक्त घटना मृतक को 21 वर्ष आयु का होना बताया गया है। चूंकि वक्त घटना मृतक 21 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यह न्यायालय मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 1,440/- रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल शुद्ध मासिक आय 5,040/- रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझता है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 5,040/- रुपये का 1/2 भाग 2,520/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 2,520/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

8. तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 2,520/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $2,520 \times 12 \times 18 = 5,44,320/-$ रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।



9. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 10,000/— रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।
10. ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक के पिता व माता तथा बहिन अपीलार्थी संख्या-1 लगायत 3 प्रत्येक को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये (कुल 1,20,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो कम है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।
12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	5,44,320 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		6,94,320 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		2,52,600 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		4,41,720 /—

14. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **2,52,600 /— रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **6,94,320 /— रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J